संख्या-17/2020/560/46-1-20-1000(17)/2019टी.सी.

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त का अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-01/लेखा-बजट/2020-21, दिनांक 07 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त का अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू.1716.20 लाख के सापेक्ष धनराशि रू.1612.25 लाख (रूपये सोलह करोड़ बारह लाख पच्चीस हजार मात्र) का निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न मानक मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति
1	01-वेतन	1185.00	1185.00
2	03-मंहगाई भत्ता	296.25	296.25
3	06-अन्य भत्ते	12.00	12.00
4	09-विद्युत देय	9.00	9.00
5	10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.20
6	13-टेलीफोन पर व्यय	3.50	3.50
7	15-वाहन अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद आदि	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

8	55-मकान किराया भत्ता	80.00	80.00
9	56-नगर प्रतिकर भत्ता	13.30	13.30
10	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00	3.00
	योग-	1612.25	1612.25

(रूपये सोलह करोड़ बारह लाख पच्चीस हजार मात्र)

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" के उपर्युक्त उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2020/560(1)/46-1-20-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. वित्तय नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है